बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL–03 / 2026– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (आईएमसी) गयाजी परियोजना के लिए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु 400 के0वी0 चंदौती (PMTL) ग्रीड–उपकेन्द्र में 220 के0वी0 दो अद्द लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 13.93 करोड़ (तेरह करोड़ तीरानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वियन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

भारत सरकार के द्वारा Dedicated Freight Corridors ds alignment के साथ–साथ राज्य सरकार की साझेदारी में विभिन्न राज्यों में Industrial Nodes की स्थापना की जा रही है। इस योजनान्तर्गत NICDC (National Industrial Corridor Development Corporation) एवं उद्योग विभाग, बिहार सरकार के BIADA (Bihar Industrial Area Development Authority) के द्वारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रीयल कोरिडोर के अन्तर्गत गयाजी जिले के डोभी प्रखंड में आई0एम0सी0 (इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर) विकसित किया जा रहा है।

2. मुख्य सचिव के अध्यक्षता में दिनांक–12.11.2024 को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रीयल कोरिडोर अंतर्गत आई0एम0सी0, गयाजी की स्थापना के संबंध में आयोजित बैठक में ऊर्जा विभाग को पर्याप्त विद्युत मुहैया कराने हेतु आधारभूत संरचना विकसित कराने हेतु अपने बजट में प्रावधानित करते हुए अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

3. आई0एम0सी0, गयाजी के लिए निरंतर, विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इसे 220 के0वी0 स्तर पर 400 / 220 / 132 के0वी0 ग्रीड उपकेन्द्र चन्दौती (PMTL) से जोड़ने का निर्णय लिया गया। जिसमें आई0एम0सी0, गयाजी परिसर में 220 के0वी0 ग्रीड उपकेन्द्र एवं ग्रीड उपकेन्द्र चन्दौती में 220 के0वी0 लाईन 'बे' का निर्माण बियाडा के द्वारा और 220 के0वी0 डी0सी0 संचरण लाईन (400 के0वी0 चंदौती(PMTL) ग्रीड उपकेन्द्र से आई0एम0सी0 गयाजी तक) का निर्माण बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 द्वारा किया जाना था।

4. बियाडा द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 220 के0वी0 डी0सी0 संचरण लाईन (चंदौती PMTL से आई0एम0सी0 गयाजी) के साथ–साथ चंदौती में 220 के0वी0 के दो अदद लाईन 'बे' के निर्माण कार्य बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 द्वारा ही किया जाना है। अतएव 220 के0वी0 डी0सी0 संचरण लाईन (400 के0वी0 चंदौती (PMTL) ग्रीड उपकेन्द्र से आई0एम0सी0, गयाजी तक) के निर्माण का प्रस्ताव विभागीय राज्यादेश सं0–287 दिनांक–21.01.2026 के द्वारा कुल 33.29 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

5. प्रबंध निदेशक, बियाडा के अनुरोध के आलोक में 400 के0वी0 चंदौती में 220 के0वी0 के दो अदद लाईन 'बे' के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसपर होनेवाले व्यय का अनुमानित लागत 13.93 करोड़ रुपये आकलित की गयी है।

6. उक्त आलोक में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (आईएमसी) गयाजी परियोजना के लिए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु 400 के0वी0 चंदौती (PMTL) ग्रीड–उपकेंन्द्र में 220 के0वी0 दो अद्द लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 13.93 करोड़ (तेरह करोड़ तीरानवे लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में 10.00 करोड़ (दस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0105–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900105 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

8. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता–PTSPLA014) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

9. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या–PTSPLA014 से की जाएगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय उप मुख्य (ऊर्जा) मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–03/2026 के पृष्ठ संख्या–14/टि0 पर दिनांक–30.04.2026 को प्राप्त है।

12. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–03/2026 के पृष्ठ संख्या–16/टि0 पर दिनांक– 04.05.2026 को प्राप्त है।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(सुधा गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–03/2026– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSPTCL–03 / 2026– 2316 / पटना, दिनांक– 06.05.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06-05-26

सरकार के संयुक्त सचिव।